निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर (ग्रामीण)

प्रकरण संख्या : 141/2023 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

नरेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री रामसिंह उर्फ रामचन्द्र जाति दरोगा निवासी चांदसिंहपुरा तहसील जोबनेर, जिला जयपुर ग्रामीण।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री संजय गोयल आर.ए.एस. पीठासीन अधिकारी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर ।
2. मनोहर सिंह पुत्र स्व. रामसिंह उर्फ रामचन्द्र जाति दरोगा निवासी चांदसिंहपुरा, तहसील जोबनेर, जिला जयपुर ग्रामीण। हाल निवासी प्लाट नम्बर 118 भुवनेश्वरी वाटिका विस्तार, सिरसी रोड, जयपुर ।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत उपखण्ड अधिकारी जोबनेर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 41/2023 ब उनवानी मनोहर सिंह बनाम नरेन्द्र सिंह व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थितः—

1. श्री बंशीधर जाट अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री वीरेन्द्र सिंह शेखावत अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 28.12.2023

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी जोबनेर के समक्ष प्रकरण संख्या 41/2023 ब उनवानी मनोहर सिंह बनाम नरेन्द्र सिंह व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी जोबनेर से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से वकील श्री वीरेन्द्र सिंह शेखावत ने उपस्थित हो कर वकालतनामा पेश किया ।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि उक्त प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र ह. आदेश 7 नियम 11 जा. दी. दिनांक 20.09.2023 को पेश किया गया जिसमे पीठासीन अधिकारी द्वारा उसी दिन बहस सुनी जाकर दिनांक 27.09.2023 की पेशी दी जाकर प्रार्थना पत्र ह. आदेश 7 नियम 11 जा.दी. बसाज वादी प्रार्थी के खिलाफ निर्णिय पारित कर दिया और उक्त आदेश की रिवीजन का समय न देते हुए प्रकरण में नजदीक पेशियां देते हुये प्रार्थी के खिलाफ प्रकरण का निस्तारण करने की

जिला कलक्टर
जयपुर

ठान ली है । विपक्षी अधिकतर पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में आता–जाता रहता है एवं विपक्षी ने स्पष्ट रूप से शोहरत फैला रखी है कि अब की पेशी पर नरेन्द्र सिंह वगैरह के विरूद्ध निर्णय हो कर प्रकरण हमारे पक्ष मे निर्णित हो जायेगा एवं जमीन कुर्क करवा देंगे। पीठासीन अधिकारी ने लेनदेन में शोहरत हासिल कर रखी है जिसके चर्चे न्यायालय में खुले रूप से सुनने को मिलते है। न्याय का सर्वमान्य सिद्वान्त है कि न्याय किया जाना ही पर्याप्त नही है बल्कि न्याय किये जाने का आभास भी पक्षकारों को होना चाहिए। इस दृष्टिकोण से भी अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी के समक्ष विचाराधीन उक्त प्रकरण को किसी अन्य सक्षम अदालत मे मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित है। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि प्रार्थी ने जानबूझ कर प्रकरण के निस्तारण में देरी किये जाने की मन्शा से झूंठे तथ्य अंकित करते हुये यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है, परन्तु चूंकि प्रार्थी ने पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने पर शंका जाहिर की है। इसलिए न्यायहित में इस प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किया जाता है, तो कोई आपत्ति नहीं है।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी जोबनेर के पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने पर शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है। न्याय का नैसर्गिक सिद्वान्त है कि न्याय किया जाना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि न्याय किया गया है, ऐसा लगना भी चाहिये। न्याय की इसी भावना को मध्यनजर रख कर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्याय संगत है। अप्रार्थी अधिवक्ता भी उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने पर सहमत है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार की जाता है।

8. उपखण्ड अधिकारी जोबनेर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 41/2023 ब उनवानी मनोहर सिंह व अन्य बनाम नरेन्द्र सिंह व अन्य को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभर लेक को अन्तरण किया जाता है। पक्षकारान प्रकरण में अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 29.01.2024 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक में उपस्थित हो।

9. उपखण्ड अधिकारी सांभर लेक को निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण का गुणावगुण व मैरिट पर निस्तारण करना सुनिश्चित करे।

10. निर्णय की प्रति न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर एवं उपखण्ड अधिकारी सांभर लेक को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

11. निर्णय आज दिनांक 28.12.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner